

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संबल पखवाड़ा-2025 ०१९ शिविर-६०५३

प्रकरण संख्या:- 109/2025

दिनांक:- 11/7/2025

उनवान

श्री. फतेहलाल S/O  
अर्जुन जाति मीना

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दरतावेज, पटवारी हल्का झोपडा भू अ. नि. शिवलगढ़ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांसा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम झोपडा प 0 ह 0 झोपडा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 70, 68, 66, 399, 279 वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	नाम	फत्या पुत्र अर्जुन जाति मीना	फतेहलाल पुत्र अर्जुन मीना

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पात्रता प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री फतेहलाल पुत्र अर्जुन मीना प 0 झोपडा
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा  
(स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा  
(स० मा०)

